दिनांक 09.06.2017

स्वच्छ भारत अभियान **स्वच्छ एवं सुदर भिलाई**

भिलाईनगर/ निगम आयुक्त के0 एल0 चौहान ने आज जोन कमिश्नर विभाग प्रमुख, सहायक अभियंताओं की बैठक लेकर स्पष्ट रुप से निर्देशित किया कि प्रत्येक विभाग प्रमुख यह सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा किया जा रहा कार्य नगर निगम एक्ट शासन के दिशा निर्देश और विधि सम्मत है या नहीं । यह सुनिश्चित होने के बाद ही उच्चाधिकारियों को प्रस्ताव भेजें। उन्होने अधिकारियों से कहा कि हमें शासन के निर्देशों का पालन करते हुए ही अपने कार्यों कों सम्पादित करना है। ऐसा कोई भी कार्य प्रस्तावित न करें जो विधि सम्मत न हों। किसी भी कार्यों का निविदा टेंडर कम से कम दो माह पूर्व निकालें और उसका पूर्व के अनुभव के अनुरुप संशोधित करें। ऐसे कार्य जो नियमित स्वरुप में आते है समयावधि के पूर्व पूर्ण कर लिये जायें। टेंडर की प्रक्रिया 31 मार्च तक होनी चाहिए और 31 दिसम्बर तक उसके प्रस्ताव बन जाने चाहिए। कार्य किसी भी स्थिति में ब्रेक नहीं होने चाहिए। निर्माण कार्यों के टेंडर शासन द्वारा निर्धारित समयावधि को देखते हुए जारी करें। समयावधि में स्वयं होकर कम बेसी न करें। उन्होने कहा कि निर्माण कार्य पूर्ण होते ही अपने निर्माण कार्य के साथ यह प्रमाण–पत्र भी संलग्न करें कि उक्त कार्य कि मेरे द्वारा समय–समय पर निरीक्षण किया गया और गुणवत्ता तथा टेंडर अनुरुप कार्य कराया गया है, जो कि पूर्ण रुप से मापदण्ड के अनुरुप है।

विभाग प्रमुखों को निर्देशित करते हुए आयुक्त ने कहा कि हमें निगम में आने वाले प्रत्येक आवेदन पर कार्यवाही तो करना ही है समस्याओं के शिकायतों का निदान समय सीमा पर हो यह भी सुनिश्चित किया जाना है। हम भी लोगों से यह अनुरोध करें कि आपको हमसे कोई कार्य तो नहीं कराना है, आप किस कार्य के लिए आये है जिससे कि आवेदकों को एवं नागरिकों को भी लगे कि निगम के अधिकारी, कर्मचारी हमारे तक आकर समस्याओं और शिकायतों को पुछ रहें जिससे निगम और नागरिकों के बीच आपसी सामंजस्य एवं संवाद को बढ़ावा मिलेगा। निगम का कार्य ही क्षेत्र के नागरिकों की प्रतिदिन की समस्याओं का निदान करना प्रमुख है। उन्होने बारिश के पूर्व नालें नालियों की सफाई सड़कों की सफाई के भी निर्देश दिये और कहा कि बारिश के समय सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना है कि बारिश का पानी कहीं भी न रुके और न ही बस्तियों में घुसे। आयुक्त ने जोन कमिश्नरों से कहा कि इसके लिए नागरिकों की जनभागीदारी भी जोड़ी जाये जिससे साफ–सफाई के लिए सभी सजग रहें। निगम के सभी अधिकारी, कर्मचारी इस भावना के साथ कार्य करें कि आपका क्या काम है हम करेंगे ऐसा नागरिकों के बीच संदेश जाये यह नहीं कि हम निगम जाते है अधिकारी, कर्मचारी नहीं सुनते इस परम्परा को हमें समाप्त करना है। निर्माण कार्य जो चालु है वो निरंतर चलते रहें कोई भी निर्माण कार्य अधुरे में बंद न हो। नये कार्य जिनके कार्यादेश हो चुके है मानसुन में किये जा सकतें है उन्हे निरंतरता बनाये रखें।

इसके पूर्व आयुक्त ने औद्योगिक क्षेत्र की सफाई व्यवस्था एवं जल भराव की समस्याओं को लेकर उद्योग संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सफाई व्यवस्था में सहयोग की अपील की। उन्होने कहा कि बिना जनभागीदारी के पूर्ण सफाई किया जाना संभव नही है सफाई के क्षेत्र में विशेष रुप से आद्योगिक क्षेत्र में आप लोग का सहयोग आवश्यक है। उद्योग संघ के पदाधिकारियों ने नाली के उपर हुए

अवैध कब्जे को हटाकर नाली की सफाई तल से करने का अनुरोध किया। उक्त कार्य में सहयोग प्रदान करने का आश्वासन भी दिया।

जनसम्पर्क अधिकारी